Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भरतपुर में उपनिरीक्षक पुलिस, उसके दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) सहित 3 हजार 500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *11 अक्टूबर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की भरतपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये श्यामसुन्दर शर्मा उपनिरीक्षक पुलिस, चौकी टाउन, थाना डीग, जिला भरतपुर को उसके दलाल जितेन्द्र सिंह उर्फ बन्टू (प्राईवेट व्यक्ति) सहित परिवादी से 3 हजार 500 रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की भरतपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध दर्ज प्रकरण में धारा हटाने एवं आरोपी का नाम निकालने की एवज में अनुसंधान अधिकारी श्यामसुन्दर शर्मा उपनिरीक्षक पुलिस, चौकी टाउन, थाना डीग, जिला भरतपुर द्वारा अपने रीडर हरिओम के मार्फत 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की भरतपुर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री परमेश्वर लाल** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री श्रवण कुमार** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये जितेन्द्र सिंह उर्फ बन्टू पुत्र श्री सोहनलाल जाट निवासी भूड़ागेट, कस्बा डीग, भरतपुर हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर, चौकी टाउन, थाना डीग (प्राईवेट व्यक्ति) को श्यामसुन्दर शर्मा पुत्र श्री दीपचन्द शर्मा निवासी सामोली, पुलिस थाना कठूमर, जिला अलवर हाल निवासी 202, अवधपुरी द्वितीय, महेशनगर, जयपुर हाल उपनिरीक्षक पुलिस, चौकी टाउन, थाना डीग, जिला भरतपुर के लिये परिवादी से **3 हजार 500 रुपये** रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रकरण में आरोपी उपनिरीक्षक के रीडर हरिओम कानिस्टेबल एवं पत्रावली के वर्तमान अनुसंधान अधिकारी राजेन्द्र सिंह हैड कानिस्टेबल की भूमिका की जांच जारी है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।